कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/ **दिनांक–** 24-06-16

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, बड़हिया
जिला– लखीसराय

महाशय,

नगर पंचायत, बड़हिया के वर्ष 2013–14 से 2014–15 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 1750/15–16 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,
ह0
(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0/एस.एस.–1/श0स्था0नि0/ 14563/88 **दिनांक–** 24-06-16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, लखीसराय

(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 1750 / 15–16

भाग- I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	–	नगर पंचायत बड़हिया
2	लेखापरीक्षा की अवधि	–	वर्ष 2013-14 से 2014-15
3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	–	अंकेक्षण में प्रस्तुत एवम् जाँच किये गए पंजियों और अभिलेखों की सूची परिशिष्ट-I में तथा अप्रस्तुत पंजियों और अभिलेखों की सूची परिशिष्ट-II पर दी गई है
4	लेखापरीक्षा की तिथि	–	20.01.2016 से 27.01.2016
5	**प्रशासन**		
(i)	कार्यपालक पदाधिकारी का नाम	–	श्री राजेश कुमार 01.04.2013 से 31.03.2015
(ii)	अध्यक्ष का नाम	–	श्रीमती बसंती देवी 01.04.2013 से 31.03.2015
(iii)	उपाध्यक्ष का नाम	–	श्री प्रमोद कुमार 01.04.2013 से 31.03.2015
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	–	1. श्री विश्वपति सिंह, स.ले.प.अ. 2. श्री अमरनाथ कुमार, स.ले.प.अ. 3. श्री शशि रंजन, व.ले.प. 4. श्री शिवराम, ले.प.
7	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन का अनुपालन	–	अप्राप्त
8	कार्यपालक पदाधिकारी से वार्तालाप	–	दिनांक 27.01.2016
9	**लेखापरीक्षा का परिणाम**		
	अंकेक्षण के दौरान वसूल की गई राशि	–	24,000
	वसूली हेतु सुझाई गई राशि	–	1607597
	आपति के अधीन रखी गई राशि **(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-VI पर** संलग्न)	–	401925

152

कंडिका-10 बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया जाना

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 82 से 84 के अनुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना था, लेकिन नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 तक का बजट प्राक्कलन लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर नगर पंचायत द्वारा जवाब में बताया गया कि भविष्य में बजट प्राक्कलन बनाया जायेगा। अतः बजट तैयार कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

कंडिका 11-वित्तीय संव्यवहार

वर्ष 2013–14 का एवं 2014–15 का रोकड़ पंजी में दर्ज आय–व्यय निम्न प्रकार है:–

	2013–14	2014–15
प्रारम्भिक शेष(दिनांक–01.04.2013)	1,93,70,551.00	37597040.00
प्राप्ति	4,59,26,351.00	4,47,72,101.00
कुल	65296902.00	82369141.00
व्यय	2,76,99,862.00	5,42,19,867.00
अवशेष राशि	37597040.00	28149274.00

दिनांक–31.03.2015 को बैंक शेष :– बैंक पासबुक/कोषागार (P/L खाता) पासबुक उपलब्ध नहीं कराया गया।

अंकेक्षण आपत्ति

(i) रोकड़ पंजी में अधिकतर राशि को काट कर सुधार किया गया, परन्तु हस्ताक्षर नहीं किया गया था।

(ii) नगर पंचायत को प्राप्त आवंटन का इन्द्राज ससमय रोकड़ पंजी में नहीं किया गया है।

(iii) रोकड़ पंजी के व्यय पक्ष में अभिश्रव संख्या अनियमित रूप से दर्ज किया गया है।

(iv) बैंक पासबुक/कोषागार (P/L खाता) पासबुक उपलब्ध नहीं कराया गया, फलस्वरूप रोकड़ पंजी का अंतशेष एवं बैंक/कोषागार खाता के शेष से मिलान नहीं किया जा सका है।

जवाब में बताया गया कि **बैंक पासबुक** अद्यतन **नहीं हो पाने के कारण प्रस्तुत नहीं किया जा सका | अगले लेखा परीक्षा दल को दिखा दिया जायेगा एवं रोकड़ बही का संधारण उचित तरीके से किया जायेगा |**

(151)

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र
DISCLAMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग-II

खण्ड-क शून्य

भाग-II

खण्ड-ख

कंडिका-1- सब्जी मंडी की बंदोबस्ती नहीं किये जाने के कारण हानि- रु 2.64 लाख

नगर पंचायत बड़हिया के बंदोबस्ती से सम्बंधित पंजी एवम् संचिका के जाँच के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में सब्जी मंडी की बंदोबस्ती हेतु सूचना प्रकाशित की गई थी जिसमें बंदोबस्ती राशि रु 2,64,000 निर्धारित की गई थी | इसके बावजूद भी कार्यालय द्वारा इसकी बंदोबस्ती नहीं की गई | बंदोबस्ती समय कार्यालय द्वारा सूचना निर्गत कर स्पष्ट कर दिया गया कि सब्जी मंडी को छोड़कर अन्य सैरातों की बंदोबस्ती की जाएगी | कार्यालय के इस कृत के कारण रु 2,64,000 की आर्थिक क्षति हुई | यहाँ स्पष्ट करना है कि सब्जी मंडी की बंदोबस्ती पूर्व के वर्षों में यानि वर्ष 2012-13 एवम् 2013-14 की गई थी |

सब्जी मंडी सैरात को वर्ष 2014–15 की बंदोबस्ती होने के संबंध में नगर पंचायत कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि सब्जी मंडी की बंदोबस्ती नहीं हो पायी भविष्य में बंदोबस्ती की कार्रवाई की जाएगी |

जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि कार्यालय द्वारा बंदोबस्ती समय सूचना निर्गत कर स्पष्ट कर दिया गया कि सब्जी मंडी को छोड़कर अन्य सैरातों की बंदोबस्ती की जाएगी | कार्यालय के इस कृत के कारण रु 2,64,000 की आर्थिक क्षति हुई | अतः सैरात की बंदोबस्ती नहीं किये जाने के संबंध में आवश्यक जॉच की जाय तथा जॉचोपरान्त बन्दोबस्ती नहीं किये जाने के कारण हुई हानि 264000 को संबंधित/जिम्मेदार व्यक्ति से वसूल की जाय।

कंडिका-2- सैरात टेम्पू स्टैंड की 79 दिनों तक बंदोबस्ती या विभागीय वसूली नहीं किये जाने के कारण हानि- रु 0.87 लाख

सैरातों के बंदोबस्ती से सम्बंधित पंजी एवम् संचिका के जाँच के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2013-14 में नगर पंचायत बड़हिया में टेम्पू स्टैंड की विभागीय वसूली दिनांक 19.06.2013 से 31.03.2014 तक श्री सत्यनारायण सिंह के द्वारा किया गया था मगर 01.04.2013 से 18.06.2013 (कुल 79 दिन) तक टेम्पू स्टैंड का न तो बंदोबस्ती और न ही विभागीय वसूली की गई | श्री सत्यनारायण सिंह द्वारा प्रति दिन रु 800 की दर से वसूली की जा रही थी | इस आधार पर कार्यालय को 79 दिनों में कुल रु 63200 (79*800) की क्षति हुई |

वित्तीय वर्ष 2012-13 में टेम्पू स्टैंड की विभागीय वसूली के लिए कार्यालय द्वारा प्रतिदिन रु 885 निर्धारित की गई थी मगर वित्तीय वर्ष 2013-14 (19.06.2013 से 31.03.2014) में 285 दिनों (एक दिन वसूली नहीं की गई) तक प्रतिदिन रु 800 की दर से वसूली की गई यानि प्रतिदिन रु 85 (रु 885- रु 800) की कम वसूली की गई | इस प्रकार कार्यालय को रु 24225 (285*85) की अतिरिक्त क्षति हुई | अतः कार्यालय को कुल रु 87425 (रु 63200 + रु 24225) की क्षति हुई |

दिनांक 01.04.2013 से 18.06.2013 तक टेम्पू स्टैंड की बंदोबस्ती या फिर विभागीय वसूली नहीं किये जाने के कारण के जवाब में बताया गया कि निविदा की प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण टेम्पू स्टैंड की विभागीय वसूली का निर्णय लेने में विलम्ब हुई |

यह पूछे जाने पर कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में टेम्पू स्टैंड की विभागीय वसूली के लिए कार्यालय द्वारा प्रतिदिन रु 885 निर्धारित की गई थी तो किस परिस्थिति में वर्ष 2013-14 में रु 800 प्रतिदिन की दर से वसूली की गई, कार्यालय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया |

अतः राशि 87425 की क्षति की विभागीय जॉच की जाय तथा जॉचोपरान्त इस क्षति के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों से वसूली की जाय।

कंडिका-3- सैरात की विभागीय वसूली की राशि जमा नहीं- रु 0.24 लाख

सैरातों के बंदोबस्ती से सम्बंधित संचिका के जाँच के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2013-14 में नगर पंचायत बड़हिया में टेम्पू स्टैंड की विभागीय वसूली श्री सत्यनारायण सिंह के द्वारा किया गया था मगर मार्च 2014 में की गई वसूली की राशि रु 24000 उनके दवारा नगर पंचायत कोष में जमा नहीं की गई थी। हालाकि आपत्ति निर्गत करने के पश्चात श्री सत्यनारायण सिंह

द्वारा राशि रु 24000 नगर पंचायत कोष के खाता संख्या- 11535712033 (एस.बी.आई.) में दिनांक 22.01.2016 (अंकेक्षण के दौरान) को जमा कर दिया गया |

कंडिका-4- भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति में रु 2.12 लाख के श्रम उपकर की वसूली नहीं किया जाना

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या– वी0सी0 डब्लू0सी0–01/2008 द्वारा राज्य सरकार के सभी कार्य विभागों को यह सूचित किया जा चुका है कि बिहार राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" का गठन दिनांक–18.02.08 को किया जा चुका है। सभी कार्य विभागों से यह अनुरोध किया गया था कि वे वित्तीय वर्ष 2007–08 से उनके द्वारा लिए गये योजनाओं के कुल लागत का 1 प्रतिशत सेस श्रम संसाधन विभाग के विकास भवन में गठित "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" में जमा करें।

इसके अतिरिक्त वैसे रिहायसी मकान जो निजी उपयोग के लिए बनाये जाते हैं और जिसका लागत 10 लाख रूपये से अधिक है उनसे 1 प्रतिशत राशि नक्शा पारित करने के समय ही वसूल कर नगर **निकाय** में जमा करना है।

साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि निर्धारित समय पर सेस जमा नहीं करने पर कुल सेस का 2 प्रतिशत प्रतिमाह सूद के देनदार होंगे। साथ ही कुल शेष राशि के बराबर अर्थात एक प्रतिशत + एक प्रतिशत – कुल दो प्रतिशत सेस राशि उनसे वसूली जाएगी। प्राधिकारी जिनके द्वारा सेस जमा किया जाएगा जमा किए जाने वाले कुल उपकर राशि का एक प्रतिशत प्रशासनिक एवं अन्य खर्च हेतु व्यय कर सकेंगे।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन में नक्शा पारित करते समय न तो नगर **पंचायत बड़हिया** कार्यालय द्वारा तथा न ही वास्तुविद द्वारा इस सेस की वसूली की गयी है। नगर **पंचायत** कार्यालय तथा वास्तुविद द्वारा नक्शों में भवन निर्माण की प्राक्कलित राशि भी नहीं दर्शायी गयी है। इसके कारण अंकेक्षण द्वारा श्रम सेस की वास्तविक हानि ज्ञात नहीं की जा सकी।

बिहार सरकार के भवन निर्माण प्रमंडल द्वारा दी गयी भवन निर्माण की लागतदर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 में भवन निर्माण का न्यूनतम लागत मूल्य रू0 14500 प्रति वर्गमीटर था। नगर **पंचायत बड़हिया** कार्यालय द्वारा निर्माण का न्यूनतम लागत दर उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अंकेक्षण द्वारा भवन निर्माण प्रमंडल के लागत दर के आधार पर गणना करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 **एवम्** 2014–15 की अवधि में नगर **पंचायत बड़हिया** द्वारा स्वीकृत किये गये **पाँच** भवन निर्माण की **योजनायें थी** जिसमें **चार 10 लाख की उपर की थी मगर उनका प्राक्कलित राशि उपलब्ध नहीं हो सका | वर्षवार कुल वर्गमीटर की विवरणी निम्न है-**

1148

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	कुल स्वीकृत नक़्शे	10 लाख से ज्यादा व्यय वाले भवन	कुल वर्ग मीटर	प्रति वर्ग मीटर दर	कुल राशि	श्रम सेस कुल राशि का 1 %
01	2013-14	01	01	994.22	14500	14416190	144162
02	2014-15	04	03	468.40	14500	6791800	67918
कुल श्रम उपकर							**212080**

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि श्रम सेस की कटौती नहीं करने के कारण श्रम विभाग को रू0 209959 के श्रम सेस की तथा नगर पंचायत बड़हिया को रू0 2121 के राजस्व की हानि हुई।

नगर पंचायत कार्यालय से श्रम सेस की वसूली नहीं किये जाने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर यह बतलाया गया कि भविष्य में श्रम शेष की कटौती की जायेगी। पूर्व में इसकी जानकारी नहीं थी। कार्यालय द्वारा भवनों का प्राक्कलित राशि भी उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही कोई जवाब दिया गया |

जवाब संतोषप्रद नहीं था क्योंकि कार्यालय को इसकी जानकारी नहीं होना कार्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता हैं | अतः राशि रु 212080 सम्बंधित व्यक्तियों से वसूल कर लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय |

कंडिका-5- मोबाइल फोन के रिचार्ज पर व्यय- रु 0.76 लाख

नगर पंचायत बड़हिया के लेखापाल रोकड़बही के जाँच के क्रम में पाया गया कि कार्यालय द्वारा अध्यक्षा, उपाध्यक्ष एवम् कार्यपालक पदाधिकारी के मोबाइल रिचार्ज हेतु रु 76,000 व्यय किया गया था जिसकी विवरणी निम्न है-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	राशि
01	बसंती देवी	अध्यक्ष	36,500
02	प्रमोद कुमार	उपाध्यक्ष	36.500
03	राजेश कुमार	कार्यपालक पदाधिकारी	3,000
		कुल	76,000

लेखापरीक्षा दल को यह स्पष्ट नहीं कराया गया किस सक्षम प्राधिकारी के आदेश से मोबाइल फोन रिचार्ज हेतु राशि दी गई | संचिका में अध्यक्षा, उपाध्यक्ष एवम् कर्यापालक पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा मोबाइल रिचार्ज हेतु कोई विभागीय आदेश संचिका में नहीं पाया गया | जवाब

में बताया गया कि जांचोपरांत कार्रवाई की जायेगी जो संतोषप्रद नहीं है | इस संबंध में विभागीय जॉच की जाय तथा जॉच के फलाफल के अनुरूप कार्रवाई की जाय तथा कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका-6- सक्शन मशीन के कय में अनियमितता भुगतान

सेक्शन मशीन के क्रय से सम्बंधित संचिका के जाँच के क्रम में पाया गया कि इस मशीन के क्रय हेतु नगर पंचायत बड़हिया द्वारा अल्पकालीन निविदा सूचना निकाला गया जिसके आलोक में पाँच आपूर्तिकर्ताओं ने भाग लिया | संचिका में केवल तीन ही आपूर्तिकर्ताओं का कोटेशन पाया गया जबकि तुलनात्मक विवरणी में पांच आपूर्तिकर्ताओं का जिक्र है |

तुलनात्मक विवरणी में सबसे कम दर (रु 4,94,500) स्पर्श फाउंडेशन का था मगर इस आधार पर इससे क्रय नहीं किया गया कि इनके द्वारा अग्रधन की राशि चेक द्वारा जमा किया गया था और पूर्व में सफाई उपस्कर कय हेतु कार्य आवंटित किया गया था लेकिन उनका कार्य शैली योग्य नहीं था लेकिन ऐसा कोई प्रमाण संचिका में नहीं पाया गया | सेक्शन मशीन का क्रय काम-अविदा एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रु 7,76,935 का कोटेशन देने के बावजूद भी इसी आपूर्तिकर्ता से क्रय किया गया | इस मशीन के लिए काम-अविदा एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड को चेक सं 563625 से रु 6,83,781 और चेक सं- 563689 से 24,500 यानि कुल रु 7,18,281 का भुगतान किया गया जिस कारण कार्यालय को 2,23,781 (रु 7,18,281- रु 4,94,500) की हानि हुई |

जवाब में बताया गया कि अग्रधन की राशि चेक से भुगतान किये जाने के कारण स्पर्श फाउंडेशन का निविदा स्वीकार नहीं किया गया |

जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि स्पर्श फाउंडेशन द्वारा अग्रधन की राशि जमा कर देने के बावजूद भी काम-अविदा एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड से सेक्शन मशीन रु 2,23,781 अधिक पर क्रय किया गया| अतः सक्शन मशीन के कय से संबंधित मामले की जॉच की जाय एवं जॉचोपरान्त अधिक भुगतान के लिये जिम्मेदार/संबंधित व्यक्तियों से इसकी वसूली की जाय।

कंडिका-7- स्वर्ण जयंती योजना के अंतर्गत क्रय किये गए सभी टूल किट्स का वितरण नहीं किया जाना - रु 0.54 लाख

बिहार सरकार के पत्र संख्या 927 दिनांक 06.09.2012 के दिशानिर्देश के अनुसार बी0पी0एल0 परिवार के युवक एवं युवतियों को 17 व्यवसाय में प्रशिक्षण दिया जाना था। प्रशिक्षण हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30.06.2012 थी और प्राप्त आवेदनों के संबंध में व्यवसाय वार पंजी

1148

संधारित करना था। इस बात की सूचना विभाग के पत्रांक 317, दिनांक 09.04.2012 पंत्राक 427, दिनांक 15.05.2012 तथा पत्रांक 507, दिनांक 12.06.2012 द्वारा दी जा चुकी थी।

उपर्युक्त पत्र के (927) दिनांक 06.09.12 क्रम संख्या 11 में भी स्पष्ट किया गया है कि आवेदन अपने स्तर से मापदण्ड के आधार पर प्राप्त कर लिया जाए।

बिहार सरकार के पत्र सं0 507 दिनांक 12.06.2012 में यह उल्लेखित है कि प्राप्त आवेदनों पर अंकित बी0पी0एल0 संख्या की सत्यता की जाँच नगर प्रबंधक और जहाँ नगर प्रबंधक नहीं है वहाँ स्वयं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

नगर पंचायत बड़हिया के स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के संचिका के जाँच में निम्न तथ्य दृष्टिगोचर हुए-

1. कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए किसी भी आवेदन को उस पर अंकित बी.पी.एल. संख्या की सत्यता की जाँच नगर प्रबंधक या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया था |
2. प्रशिक्षण देने हेतु संजीवो टेक्नोलॉजी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड पटना एवम् आर्यभट कम्प्यूटर्स, पटना का चयन किया गया मगर इन संस्थानों द्वारा क्रमशः शिव गुरु कम्प्यूटर सेंटर, बड़हिया एवम् आर.टी.आई. अकादमी, बड़हिया को अधिकृत किया गया|
3. टूल किट्स क्रय हेतु कार्यालय द्वारा कोई भी निविदा आमंन्त्रित नहीं किया गया था फिर भी संचिका में तीन संस्थाओं द्वारा टूल किट्स सामग्रियों के क्रय हेतु कोटेशन संलग्न पाया गया और अंततः रु 4,33,000 में 200 टूल किट्स का क्रय किया गया | इस प्रकार प्रति टूल किट्स का मूल्य रु 2165 हुआ | मगर संचिका के अवलोकन में पाया गया कि केवल 175 लाभार्थियों द्वारा ही टूल किट्स प्राप्त किया गया है | अतः शेष 25 टूल किट्स क्रय किये जाने के बावजूद भी लाभार्थियों को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी जिसपर की रु 54,125 व्यय हुए |
4. संचिका में बैचवार प्रशिक्षण सूची, उपस्थिति पंजी, प्रशिक्षकों की सूची, उनका वेतन भुगतान विवरणी, योग्यता, प्रशिक्षकों का चयन का मापदण्ड नहीं पाया गया |
5. सरकार के निदेशानुसार 30% प्रशिक्षणार्थियों का नियोजन करना आवश्यक था। प्रशिक्षण देने वाले संस्थाओं द्वारा लाभार्थियों के नियोजित से सम्बंधित सूची उपलब्ध कराया गया है मगर प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि कार्यालय द्वारा इस सूची की सत्यता के जाँच किये बिना ही संस्थाओं को राशि का भुगतान कर दिया गया है |

उपर्युक्त बिन्दुओं के जवाब में कार्यालय द्वारा बताया गया कि जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी जो संतोषप्रद नहीं है क्योंकि कार्यालय को इसकी जानकारी होनी चाहिए और इसी के आलोक में भुगतान भी किया जाना चाहिए | अतः योजना से संबंधित क्रय प्रक्रिया एवं भुगतान की विभागीय जॉच की जाय। विभागीय जॉच के फलाफल से इस कार्यालय को अवगत कराया जाने तक राशि 54125 को आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कंडिका-8- विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं- रु 0.24 लाख

योजना संख्या- 9 F2 (2012-13)

योजना का नाम- वार्ड संख्या-05 में निहोर सिंह के घर से लेकर विजय सिंह के घर होते शिव बालक सिंह के घर तक पी.सी.सी. एवम् नाली निर्माण

मद का नाम- बी.आर.जी.एफ.

प्राक्कलित राशि- रु 2,36,400

कार्य समाप्ति की अवधि- एक माह

कार्य प्रारंभ की तिथि- 27.07.2013

एकरारनामा की तिथि- 27.07.2013

कार्य समाप्ति की तिथि- 26.11.2013

उपर्युक्त संचिका के जाँच के क्रम में पाया गया कि कार्य का प्रारम्भ दिनांक 27.07.2013 एवम् समाप्ति दिनांक 26.08.2013 (एक माह में) को करना था | संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने के बारे में वार्ड संख्या-5 के वार्ड पार्षद एवम् निवासियों द्वारा बार- बार कार्यालय को अवगत भी कराया गया | कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 466 दिनांक 02.09.2013 के माध्यम से संवेदक श्री राकेश कुमार को लिखा गया था कि कार्य अवधि समाप्त होने के बाद भी आपके द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है |

आगे जाँच में पाया गया कि वार्ड संख्या-5 के निवासियों द्वारा पी.सी.सी. ढलाई के कार्य को इसलिए रोक दिया गया कि कार्य में प्रयुक्त सामग्री गलत थी | इसकी सूचना आयुक्त, जिला पदाधिकारी, मुख्य सचिव आदि को भी दिया गया | इस आलोक में जिला पदाधिकारी ने अविलम्ब जाँच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र निर्गत किया |

1/44

कार्यपालक पदाधिकारी पत्रांक 685 दिनांक 03.12.2013 के द्वारा जिला पदाधिकारी के पत्र के प्रसंग में जाँच पूरी होने तक इस योजना को स्थगित रखने के लिया संवेदक को लिखा | साथ-साथ सहायक अभियंता को भी पत्रांक 683 दिनांक 26.11.2013 को संवेदक राकेश कुमार के कार्य को जाँचने हेतु लिखा गया मगर किसी तरह की जाँच सहायक अभियंता द्वारा नहीं की गई | इसी दिन यानि 26.11.2013 को सहायक अभियंता द्वारा अवधी विस्तार हेतु सहमति भी दे दी गई |

अवधि विस्तार की सहमति कार्य समाप्ति हेतु निर्धारित अवधि के पूर्व यानि दिनांक 26.08.2013 के पूर्व लेनी चाहिए थी जो कि बहुत देर से ली गई और सहायक अभियंता द्वारा स्वकृति भी प्रदान कर दी गई जो की जिलाधिकारी एवम् कार्यापालक के आदेश का उल्लंघन है | कार्य को विलम्ब से पूर्ण किया गया लेकिन विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं की गई | इस प्रकार संवेदक को रु 23,640 का अनुचित लाभ पहुंचाया गया |

जवाब में बताया गया कि जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी जो संतोषप्रद नहीं है विलम्ब शुल्क की राशि रु 23,640 सम्बंधित व्यक्ति से जॉचोपरान्त वसूल कर लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय |

कंडिका-9- राशि के समायोजन से सम्बंधित प्रमाण प्रस्तुत नहीं- रु 0.30 लाख

वित्तीय वर्ष 2013-14 में टेम्पू स्टैंड के विभागीय वसूली से सम्बंधित दैनिक संग्रहण पंजी (डी.सी.आर.) के जाँच के क्रम में पाया गया कि श्री सत्यनारायण सिंह द्वारा समय-समय पर टेम्पू स्टैंड के विभागीय वसूली की राशि को नगर निकाय निधि में जमा किया जाना था, लेकिन इसे कार्यालय के निम्नलिखित कर्मियों को दिया गया, जिसका कारण लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया–

क्र.सं.	कर्मियों का नाम	कर्मियों का पदनाम	उपलब्ध कराई गई राशि की तिथि	उपलब्ध कराई गई राशि
1	श्री विनय प्रसाद यादव	नगर प्रबंधक	28.06.2013	5000
2	श्री विनय प्रसाद यादव	नगर प्रबंधक	31.07.2013	7200
3	श्री अशोक दास	लेखापाल	14.08.2013	6400
4	श्री अशोक दास	लेखापाल	31.08.2013	5600
5	श्री अशोक दास	लेखापाल	23.01.2014	5600
			कुल राशि	**29800**

जवाब में बताया गया कि जांचोपरांत कार्रवाई की जायेगी जो कि संतोषप्रद नहीं है | अतः उपर्यक्त राशि को पंचायत कर्मियों को प्रदत किये जाने का कारण स्पष्ट किये जाने तक राशि रु 29,800 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है |

कंडिका-10- सैरातों की बंदोबस्ती का स्टाम्प पेपर पर निबंधन नहीं किये जाने से हानि: रु 0.44 लाख

राज्य सरकार के पत्रांक 1920 / मुख्य सचिव दिनांक 14.08.2002 तथा सचिव-सह-महानिरीक्षक निबंधन के पत्रांक 549 / 15.03.2005 के अनुसार बंदोबस्ती की कुल राशि के 3% के बराबर मूल्य के स्टाम्प पर बंदोबस्ती का निबंधन किया जाना है ।

नगर पंचायत बड़हिया के सैरातों से सम्बंधित पंजी एवम् संचिकाओं के जाँच के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 में जिन सैरातों की बंदोबस्ती की गई थी उसकी बंदोबस्ती राशि के 3% की राशि के स्टाम्प पेपर पर निबंधन नहीं किया गया था । यहाँ स्पष्ट करना है कि वर्ष 2013-14 में मात्र 10 माह के लिए बंदोबस्ती हुई थी । बंदोबस्ती किये गए सैरातों की विवरणी निम्न है:-

क्र.सं.	सैरात का नाम	वर्ष	बंदोबस्तीधारी का नाम	बंदोबस्ती की राशि	स्टाम्प की राशि
1	टैक्सी स्टैंड	2013-14	विभागीय वसूली	----	----
		2014-15	अमित कुमार	405000	12150
2	सुलभ शौचालय	2013-14	विकास कुमार	10000	300
		2014-15	विपुल कुमार	11300	339
3	बाज़ार हाट टोल टैक्स	2013-14	निरंजन झा	381000	11430
		2014-15	निरंजन झा	425000	12750
4	सब्जी मंडी	2013-14	निरंजन झा	240000	7200
		2014-15	बंदोबस्ती नहीं	----	----
कुल				**1472300**	**44169**

विवरणी से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 एवम् 2014-15 में सैरातों की बंदोबस्ती से कुल रु 14,72,300 प्राप्त हुई थी मगर स्टाम्प पेपर पर निबंधन नहीं किये जाने के कारण सरकार को उपर्युक्त बंदोबस्ती राशि का 3% (रु 14,72,300 X 3%) यानि रु 44,169 की राजस्व की क्षति हुई ।

स्टाम्प पेपर पर निबंधन नहीं किये जाने के कारणों के जवाब में कार्यालय द्वारा बताया गया की जानकारी के अभाव में ऐसा नहीं किया गया, भविष्य में बंदोबस्ती राशि के 3% के स्टाम्प

शुल्क के साथ बंदोबस्ती की कार्रवाई की जायेगी | अतः राशि रु 44,169 सम्बंधित व्यक्तियों से वसूल कर निबंधन विभाग को प्रेषित किया जाय।

कंडिका-11- मोबाइल टावरों से अधिष्ठापन/पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क की वसूली नहीं किया जाना **रु 6.90 लाख**

बिहार संचार मीनार एवं सम्बंधित संरचना नियमावली 2012 की अधिसूचना (सं. 3692 दिनांक 08-10-12) के गजट में प्रकाशन के पश्चात् सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) सभी निकायों को मांग-पत्र प्रेषित हेतु निर्देश दिया गया था |

उपरोक्त नियमावली के नियम 6(1) अनुसार नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक मोबाइल टावर का पंजीयन फीस रू 30000 तथा वार्षिक नवीकरण फीस रु 8000 निर्धारित है एवं नियम 4 के अनुसार टावर पर लगाये गये प्रत्येक अतिरिक्त एंटीना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण फीस तथा नवीकरण फीस अतिरिक्त रूप से लगाया जाना है |

परन्तु नगर पंचायत बड़हिया द्वारा इसे लागू तथा वसूलने के करवाई में उदासीनता देखी गई| इस हेतु संधारित संचिका (आंशिक उपलब्ध) के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि नगर पंचायत अधीन किन- किन कंपनी के कितने मोबाइल टावर संचालित है तथा उनका अधिष्ठापन कब से है | इसके साथ-साथ यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि स्थापित टावर पर अतिरिक्त एंटीनों की संख्या कितनी है तथा इस हेतु सम्पूर्ण सर्वे कब किया गया |

मोबाइल टावर हेतु मांग एवम् वसूली पंजी का संधारण कार्यालय द्वारा नहीं किया जा रहा था | कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए विवरणी से स्पष्ट है कि नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत मात्र सात मोबाइल टावर है जिनके विरुद्ध रु 690000 (पंजीयन शुल्क + नवीकरण शुल्क) का बकाया शेष था। (**विवरणी** परिशिष्ट– IV **संलग्न**)

लेखापरीक्षा दल द्वारा यह आपत्ति उठाई गयी कि

1. मोबाइल टावर कंपनियों पर बकाया से सम्बंधित मांग एवम् वसूली पंजी का संधारण क्यों नहीं किया जा रहा है ?
2. नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत ऐसी कम्पनियाँ जो बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत हुए एवम् बिना अनुमति के मोबाइल टावर अधिष्ठापित किये हैं उनपर कार्यालय द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

3. नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत अधिष्ठापित टावरों पर कुल कितने अतिरिक्त एंटीना लगाया गया है तथा क्या अतिरिक्त एंटीनाओं पर 60 % की दर से पंजीकरण एवम् नवीकरण शुल्क लिया जा रहा है ?
4. नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत स्थापित मोबाइल टावरों एवम् अतिरिक्त एंटीनाओं की वास्तविक संख्या ज्ञात करने के लिए नगर पंचायत द्वारा कब सर्वेक्षण कराया गया तथा इस कार्य हेतु किन अधिकारियों एवम् कर्मचारियों को नियुक्त किया गया।

उपर्युक्त के जवाब में बताया गया कि मॉग पंजी का संधारण कर लिया जायेगा। इसके साथ–साथ सर्वे का कार्य करा लिया जायेगा एवं वसूली की कार्यवाई की जायेगी। अतः इसका कार्यान्वयन **कर लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय।**

कंडिका-12- नक्शा स्वीकृति में डेवलपमेन्ट परमिट फीस नहीं लेने के कारण रू0 33,000/– की हानि

बिल्डिंग बाई लॉ के नियम 4.1 के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति संगठन सहित, केन्द्र/राज्य सरकारों के विभाग या स्थानीय निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को किसी भवन का निर्माण, पुनर्निमाण अथवा परिवर्तन करने या गिराने अथवा भूमि के किसी खण्ड का विकास करने से पूर्व प्राधिकार से पृथक भवन निर्माण अथवा विकास करने की अनुमति लेना होगा। इसके अतिरिक्त, मोडिफाईड बिल्डिंग बाई–लॉ के बाई–लॉ सं0 6.1 में यह प्रावधान किया गया है कि नक्षा का कोई भी आवेदन तब तक वैध नहीं होगा जब तक की आवेदनकर्ता बाई–लॉ सं0 6.2 में उल्लेखित निम्न डेवलपमेन्ट परमिट फीस जमा नहीं कर देता है तथा आवेदन के साथ रसीद का अभिप्रमाणित कॉपी संलग्न नहीं करता है–

क्षेत्रफल	परमिट फीस
एक हेक्टेयर तक	रू0 1500/–
एक हेक्टेयर एवं उससे उपर तथा 2.5 हेक्टेयर तक	रू0 3000/–
2.5 हेक्टेयर से उपर	रू0 5000/--

वाणिज्यिक भवनों के लिए उपरोक्त का दोगुना शुल्क लेना है।

राज्य सरकार ने जून 2009 में एक अधिसूचना निकाला कि 15 जूलाई 2009 के बाद सभी भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति वास्तुविदों द्वारा दिया जाएगा तथा 'विकास परमिट शुल्क', भवन निर्माण परमिट शुल्क एवं अन्य शुल्क जो स्थानीय शहरी निकायों द्वारा लगाया जाएगा की वसूली वास्तुविदों द्वारा की जाएगी तथा भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति के लिए प्रतिवेदनों के साथ प्राप्त राशि निगम कोष में उनके द्वारा जमा की जाएगी।

राज्य सरकार ने 08 दिसंबर 2014 से नया बिहार बिल्डिंग बाई लॉ लागू किया है। जिसके बाई लॉ सं0 7(2) में यह प्रावधान किया गया है कि नगर निगम में डेवलपमेन्ट परमिट फीस निम्न दर से लिया जायेगा–

क्षेत्रफल	**परमिट फीस**
एक हेक्टेयर तक	रू0 10000/–
एक हेक्टेयर एवं उससे उपर तथा 2.5 हेक्टेयर तक	रू0 20000/–
2.5 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक	रू0 30000/–

लेकिन **नगर पंचायत बड़हिया** कार्यालय द्वारा अप्रैल 2014 से मार्च 2015 की अवधि में स्वीकृत नक्शों की जॉच में पाया गया कि किसी भी नक्शा की स्वीकृति के लिए नगर पंचायत द्वारा डेवलपमेन्ट परमिट फीस आवेदनकर्ता से नहीं लिया गया है। नक्शा प्राप्ति पंजी में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि स्वीकृत नक्शा आवासीय है अथवा वाणिज्यिक। इसके कारण अंकेक्षण में डेवलपमेन्ट परमिट फीस मद में प्राप्त होने वाली वास्तविक राशि की गणना नहीं की जा सकी। वास्तुविदों द्वारा पारित किये गये नक्शों का विवरण निम्नलिखित है–

क0 सं0	**नक्शा स्वीकृत करने की तिथि / अवधि**	**स्वीकृत नक्शों की सं0**	**प्रति नक्शा न्यूनतम दर रू0 में**	**कुल राशि रू0 में**	**किनके द्वारा स्वीकृत किया गया**
1	19-12-2013	01	1500	1500	वास्तुविद द्वारा
2	19-06-2014	01	1500	1500	वास्तुविद द्वारा
3	03-01-2015 से 31-3-2015	03	10000	30000	वास्तुविद द्वारा
योग		**05**		**33000**	

लेकिन इन नक्शों की स्वीकृति में न तो नगर पंचायत कार्यालय द्वारा तथा न ही वास्तुविदों द्वारा डेवलपमेन्ट परमिट फीस आवेदनकर्ताओं से लिया गया।

नगर पंचायत बड़हिया कार्यालय द्वारा वास्तुविदों से डेवलपमेन्ट परमिट फीस की वसूली का कारण नहीं पूछा गया था तथा न ही इसका मॉग पत्र उनको दिया गया था। पंचायत कार्यालय द्वारा अंकेक्षण में नहीं बतलाया गया कि बाई लॉ के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार डेवलपमेन्ट परमिट फीस आवेदनकर्ताओं से क्यों नहीं लिया गया?

जवाब में बताया गया कि जानकारी के अभाव में डेवलपमेंट, फीस नही लिया जा सका। भविष्य में डेभलपमेंट फीस की वसूली की कार्रवाई की जायेगी । अतः स्वीकृत नक्शों के विरूद्ध वसूली नहीं की गई राशि 33000 की जॉचोपरान्त वसूली की जाय तथा पुनरावृति पर रोक लगाई जाय।

कंडिका-13- कम्बल वितरण में अनियमितता- रु 3.18 लाख

नगर पंचायत बड़हिया द्वारा दिनांक 11.04.2015 को रानी सती इंटरप्राइजेज से कुल 1200 कम्बल का क्रय किया गया जिसके लिय रु 3,18,000 भुगतान किया गया । कार्यालय द्वारा भण्डार पंजी उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही वितरण से सम्बंधित कोई प्रमाण ही उपलब्ध कराया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि क्रय किये गए कम्बल का वितरण हुआ या नहीं ।

जवाब में बताया गया कि कम्बल वितरण से संबंधित अभिलेख वार्ड पार्षदों से प्राप्त कर महालेखाकार कार्यालय को सुचित किया जायेगा एवं भंडार पंजी का संधारण किया जायेगा। अतः उपर्युक्त राशि मो0 318,000/– आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका-14- राशि कम जमा (विविध रसीद)

विविध रसीद के जांच में पाया गया कि श्री देनेश मण्डल, आदेशपाल के द्वारा दिनांक 25.11.14 से 15.12.14 तक विविध रसीद संख्या 3001 से 3027 तक कुल रू. 41500 रू. वसूली गई, जिसमें श्री मण्डल के द्वारा बैंक में कुल 39500 रू. ही जमा किया गया, जो 2000 रू. कम है।

अतः श्री मण्डल से कुल 2000 रू. वसूल कर यथाशीघ्र नगर पंचायत कोष में जमा कराकर अंकेक्षण को दिखाया जाय।

जवाब में बताया गया कि जांचोपरान्त राषि को जमा करा लिया जायेगा एवं महालेखाकार कार्यालय को सूचित कर दिया जायेगा।

कंडिका-15- विविध रसीद द्वारा वसूल की गई राशि जमा नहीं

विविध रसीद के अंकेक्षण जांच में पाया गया कि श्री विपिन कुमार, कर संग्राहक के द्वारा दिनांक 12.04.14 से 13.01.2016 तक कुल 22025 रू. वसूल की गई जो नगर पंचायत कोष में जमा नहीं किया गया, जिसका विवरणी नीचे है–

क्र. सं0	रसीद सं0	दिनांक	राशि
1	2006 से 2100	10.07.12 से 30.08.12	9875
2	2601 से 2700	23.09.14 से 13.01.16	12150
		कुल	**22025**

138

अतः कुल 22025 रू. श्री विपिन कुमार से यथाशीघ्र वसूल कर नगर पंचायत बड़हिया के कोष में जमा कर अंकेक्षण को दिखाया जाए।

जवाब में बताया गया कि विपिन कुमार से वसूल कर कार्यालय महालेखाकार को सूचित कर दिया जायेगा।

कंडिका– 15(क) कम जमा/नहीं जमा होल्डिंग कर की राशि

नगर पंचायत बड़हिया के लेखाओं के लेखा परीक्षा के दौरान नमूना जांच में पाया गया कि होल्डिंग कर की राशि रोकड़ पाल रोकड़ वही में दर्ज नहीं पाई गई। साथ ही किसी बैंक में भी उक्त राशि जमा नहीं पाई गई। विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0 सं0	होल्डिंग रसीद सं0/दिनांक	वसूली गई राशि	जमा की राशि	तहसीलदार का नाम
01	5548/08.03.13 से 5570/20.03.13	3974.00	शून्य	श्री नंद किशोर ठाकुर
02	5571/02.04.13 से 5600/10.04.13	1339.00	शून्य	श्री नंद किशोर ठाकुर
	कुल राषि	5313.00		

जवाब में बताया गया कि वसूली की कार्रवाई की जायेगी एवं वसूली के पश्चात महालेखाकर को सूचित कर दिया जायेगा।

कंडिका– 15(ख) होल्डिंग रसीद की राशि की प्रविष्टि नहीं एवं नहीं जमा

नगर पंचायत बड़हिया के लेखाओं के लेखा परीक्षा के दौरान नमूना जांच में पाया गया कि निम्न रसीदों को प्रविष्टि न तो दैनिक वसूली पंजी में पाई गई न ही उक्त रसीदों की राशि को नगर पंचायत कोष में जमा कराया गया। विवरण निम्न–

क्र0 सं0	होल्डिंग रसीद सं0/दिनांक	वसूली गई राशि	जमा की राशि	तहसीलदार का नाम
01	4998/26.11.13	84.16	शून्य	श्री विपिन कुमार
02	4999/26.11.13	18.76	शून्य	श्री विपिन कुमार
03	5000/26.11.13	60.62	शून्य	श्री विपिन कुमार
		163.54		

अतः उपर्युक्त राशि रू. 164 को नगर पंचायत कोष में यथाशीघ्र जमा कराया जाय।

जवाब में बताया गया कि वसूली की कार्रवाई की जायेगी एवं वसूली के पश्चात महालेखाकर को सूचित कर दिया जायेगा।

भाग-III

लेखापरीक्षा टिप्पणी (TAN)

कंडिका-1 सरकारी अनुदान

कार्यालय नगर पंचायत बडहिया के वर्ष 2013–14 से 2014–15 तक के लेखापरीक्षा के क्रम में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया है। फलस्वरूप वितीय वर्ष के पूर्व का अवशेष तथा वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 तक प्राप्त अनुदान एवं व्यय राशि के वास्तविकता ज्ञात नहीं की जा सकी। लेखापाल रोकड़ पंजी एवं आवंटन पंजी के अवलोकन में वर्ष 2013–14 से 2014–15 तक में नगर पंचायत बड़हिया को कुल मो0 82305027 अनुदान प्राप्त हुए है–

जवाब में बताया गया कि अनुदान पंजी का संधारण शीघ्र कर लिया जायेगा।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– III पर)

कंडिका– 2 अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया जाना

कार्यालय नगर पंचायत बड़हिया के वर्ष 2013–14 से 2014–15 तक के लेखा परीक्षा में अग्रिम पंजी की मांग की जाती रही। पूछे जाने पर बताया गया कि नगर पंचायत कार्यालय में अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया गया है, फलस्वरूप वितीय वर्ष से ही अग्रिम, अग्रिम के विरूद्ध समायोजन राशि तथा समायोजन के पश्चात असमायोजित अग्रिम ज्ञात नहीं किया गया। अग्रिम पंजी के संधारण नहीं किए जाने के फलस्वरूप राशि के अनियमितता से इंकार नहीं किया जा सकता है।

जवाब में बताया गया कि अग्रिम पंजी का संधारण यथा शीघ्र प्रारंम्भ की जायेगी एवं दी गई अग्रिम राशि का समायोजन कर लिया जायेगा।

कंडिका-3- मकान करों का 49 वर्षों से पुर्नरीक्षण नहीं किया जाना

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127 की उपधारा 13(1) एवं (2) के अनुसार नगरपालिका हर पॉच वर्ष में एक बार धारा– 7(1) के अधीन धृतियों के भाटक मूल्य का उर्ध्वगामी पुनरीक्षण करेगी तथा सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से घृतीयों के सभी स्वामियों और निर्धारितियों को ऐसे पुनरीक्षण के कारण निर्धारण की पद्धति में परिर्वतन से अवगत कराएगी। इसके साथ– साथ नगरपालिका हर पॉच वर्ष में एक बार उन सड़को को पुनर्वर्गीकरण भी करेंगी जिन पर घृतियॉ अवस्थित हो घृति का भाटक मूल्य अवधारित करने में उसका ध्यान रखेगी।

परन्तु भवन कर का पुनरीक्षण से संबंधित संचिका के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि नगर पंचायत बड़हिया द्वारा वर्ष 1965–66 के पश्चात कोई पुनरीक्षण नही किया गया **है**। पुनरीक्षण नहीं होने के कारण नगर निगम **बड़हिया** बढ़े हुए दरों से कर वसूली से वंचित रहा। **मकान कर आय का एक महत्वपूर्ण**